

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं 06

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुलपरिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन-0141-2706069

E-mail : rajssaquality@gmail.com , rajssa.training@gmail.com

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/HPC/2024-25/

दिनांक :

Holistic Progress Card 2024-25 ऑनलाइन प्रविष्टि दिशा निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें इस बात की भी अनुशंसा की गई है कि बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित सीखने के साथ भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान हो। विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ की जा रही गतिविधियों के समग्र रूप से आकलन हेतु Holistic Progress Card तैयार किया गया है। जो सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों के किये गये कार्य एवं शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों के विकास को परिलक्षित करने का प्रतिरूप होगा।

शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों को समग्र रूप से सत्र के अंत में Holistic Progress Card उपलब्ध कराये जाने हैं। जो शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे।

उद्देश्य –

- विद्यार्थियों के सतत् समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन को परिलक्षित करना।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को अंकों के स्थान पर ग्रेड में दर्ज करना।
- विद्यार्थियों की प्रगति को नियमित एवं निरन्तर मॉनिटरिंग करना।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों पर प्रगति को समेकित रूप से दर्ज करना।
- विद्यार्थियों के अधिगम अन्तराल को निरन्तर आकलित करते हुए कम करना।
- FLN के उद्देश्यों की सम्प्राप्ति हेतु माध्यम तैयार करना।
- पारिवारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना।
- खेल विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ का आकलन करना।

HPC की विशेषताएं :-

1. विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रतिफल है।
2. विद्यार्थियों के 360° आयामों को सम्मिलित किया गया है।
3. अंकों के स्थान पर ग्रेड दर्ज करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है।
4. ग्रेड का विवरण निम्नानुसार है—
 - ग्रेड A – विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है या स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है।
 - ग्रेड B – शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ/दक्षता होना।
 - ग्रेड C – शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आंशिक स्तर की समझ/दक्षता होना।
5. विद्यार्थियों की निरन्तर प्रगति का आधार है।
6. विद्यार्थियों की अकादमिक एवं गैर अकादमिक प्रगति को इसमें सम्मिलित किया गया है।

❖ Holistic Progress Card तैयार करने हेतु शिक्षकों के लिए निर्देश

Holistic Progress Card शाला दर्पण पोर्टल के टैब –

परिणाम —> परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां —> Summative Assessment (SA) Entry

में प्रारम्भ किया गया है। जिसको SA-1, SA-2, SA-3 की विद्यार्थिवार ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण किया जाना है। ऑनलाइन प्रविष्टि के उपरान्त सत्र के अंत में प्रिंट, प्रमाणित कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जानी है।

1. HPC का प्रारम्भिक पृष्ठ—

- विद्यालय, ब्लॉक, जिला, विद्यार्थी से सम्बन्धित प्रविष्टियां की जानी है। साथ ही विद्यार्थी के एसआर नम्बर, रोल नम्बर, अपार आईडी को दर्ज किया जाना है।
- विद्यार्थी की शारीरिक विकास की प्रगति जैसे— लम्बाई, वजन, श्रवण क्षमता, दृष्टि एवं ब्लड ग्रुप की प्रविष्टि चिकित्सा विभाग से समन्वय एवं स्वास्थ्य परीक्षण में दर्ज किये गये डाटा के आधार पर की जानी है।
- मेरी अभिरुचि बॉक्स में विद्यार्थी के प्रिय खेल, गीत, फल, मिठाई आदि से सम्बन्धित प्रविष्टियां चर्चा करते हुए दर्ज की जाए।

2. HPC का द्वितीय पृष्ठ – (बिन्दु संख्या 1 से 6)

1. सामाजिक एवं भावनात्मक विकास
2. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, (शारीरिक विकास)
3. कला शिक्षा (सौन्दर्य एवं सांस्कृतिक विकास)
4. सीखने की सकारात्मक आदतें
5. गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति (एबीएल किट के साथ कार्य)।
6. पढ़ने में रुचि (पुस्तकालय मय पुस्तकों के उपयोग के आधार पर)

➤ बिन्दु संख्या 1 से 6 में सम्बन्धित सूचकों पर सत्र में दो बार, SA-1 व SA-3 में ग्रेड दर्ज किये जाने हैं जो निम्न प्रकार होंगे– **(A) बहुत अच्छा, (B) अच्छा (C) संतोषप्रद**

3. HPC का तृतीय पृष्ठ– (बिन्दु संख्या 7 से 10)

- 3.1 विद्यार्थियों के शैक्षिक आकलन के लिए विषयवार सूचकों को आयाम के अनुसार संधारित किया जाना है जो विषयवार (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी एवं पर्यावरण) सूचकों के रूप में है।
- 3.2 विषयवार सूचकों का इंड्राज SA-1, SA-2, SA-3 वर्ष में 3 पृथक-पृथक किया जाना है।
- 3.3 विषयवार सूचकों के आकलन के समय A, B, C ग्रेड एवं कक्षा स्तर दर्ज किये जाने हैं। A, B, C ग्रेड का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा वर्ष पर्यन्त किये जा रहे कार्यो एवं योगात्मक आकलन के आधार पर किया जाना है।
- 3.4 विषय सूचकों के आकलन के साथ भाषा एवं साक्षरता विकास, संज्ञानात्मक विकास के पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ग्रेड व कक्षा स्तर दर्ज करनी है।
- 3.5 विषय सूचकों/कौशलों पर कार्य करने की स्थिति को ग्रेड के रूप में निम्न आधारों पर अंकित किया जायेगा –
 - ग्रेड A – विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है या स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है।
 - ग्रेड B – शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ /दक्षता होना।
 - ग्रेड C – शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ/दक्षता होना।

4. उपस्थिति विवरण (बिन्दु संख्या 11)

उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर माहवार विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज की जानी है। उपस्थिति में 70 प्रतिशत उपस्थिति होने पर नियमित, 50 से 70 प्रतिशत उपस्थिति होने पर मध्य स्थिति, 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर अनियमित उपस्थिति के कॉलम में स्वतः गणना द्वारा विद्यार्थी की कुल प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होगी।

5. **बिन्दु संख्या 12** में नियमितता एवं ठहराव तथा बिन्दु संख्या 13 में विद्यार्थी की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक प्रगति पर समेकित टिप्पणी और फीडबैक कक्षाध्यापक द्वारा, विषयाध्यापकों के साथ समन्वय कर दर्ज किया जाना है। जिसका एक उदाहरण प्रविष्टि अनुसार स्वतः ही प्रदर्शित होगा।
6. **विषयगत औसत ग्रेड (बिन्दु संख्या 14)** – हिन्दी, गणित, अंग्रेजी एवं पर्यावरण में सत्र पर्यन्त किये गये कार्य, बिन्दु संख्या 7 से 10 के सूचकों पर दर्ज ग्रेड के आधार पर विषयगत औसत ग्रेड **A, B, C** के रूप में स्वतः ही दर्ज हो जायेंगे।
7. **समेकित अकादमिक एवं सहशैक्षिक प्रगति प्रदर्शन (बिन्दु संख्या 15, 16)** विद्यार्थी के सत्र पर्यन्त किये गये क्रिया कलापों के प्रदर्शन एवं शैक्षिक सूचकों पर किये गये कार्य के अनुसार समग्र रूप से प्रगति प्रदर्शन हेतु स्टार दिये गये हैं इनमें 1/2/3 स्टार बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं बिन्दु संख्या 7 से 10 में दर्ज ग्रेड के आधार पर स्वतः गणना द्वारा प्रदर्शित होंगे।
8. पोर्टल से HPC प्रिंट के उपरान्त निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षाध्यापक, संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर कराते हुए अभिलेख जारी किया जाए एवं विद्यार्थी की प्रगति फीडबैक सहित साझा की जाए। सत्र के दौरान SA-1, SA-2, SA-3 के पश्चात भी विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाना है।
9. कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल माह में किये जाने वाले योगात्मक आकलन 3 के क्रियान्वयन हेतु भाषा, गणित एवं पर्यावरण के महत्वपूर्ण कौशलों/दक्षताओं पर आधारित सैम्पल टूल सुझाव स्वरूप संलग्न है। जिन्हें दिये गये QR Code को गूगल स्कैनर से स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है। उक्त टूल को आधार बनाकर शिक्षक कक्षा स्तर पर आकलन टूल तैयार कर सकते हैं।
10. आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा विकसित Assessment Portal पर उपलब्ध दक्षता आधारित प्रश्न बैंक का उपयोग भी शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है।
<https://rscertudai.rajasthan.gov.in/Public/AssessmentCell.aspx>



शिक्षक एवं कक्षा अध्यापक के दायित्व

- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के निर्देशों के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन कर विद्यार्थी का नियमित सतत् समग्र आकलन एवं शिक्षण सहयोग करना।
- समय-समय पर निर्देशानुसार HPC को पूर्ण करना।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना।

संस्था प्रधान, पीईईओ/यूसीईईओ के दायित्व

- निर्धारित समय पर कक्षाध्यापक, विषयाध्यापकों से समन्वय कर शैक्षिक प्रगति को दर्ज कराना एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकों का आमुखीकरण करना।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक प्रगति की ऑनलाइन प्रविष्टि कराना।
- न्यून शैक्षिक प्रगति वाले सूचकों पर चर्चा कर उन्नयन हेतु कार्य योजना बनवाना।
- समय-समय पर कक्षा-कक्ष, पोर्टफोलियों, विद्यार्थी-वार्षिक अभिलेख पंजिका का अवलोकन एवं संबलन करना।
- शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना, अभिभावकों के साथ साझा करना।

ब्लॉक एवं जिला कार्यालय के दायित्व

- दिशा निर्देशों की प्रत्येक विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की SA-1, SA-2, SA-3 के पश्चात नियमित रूप से समीक्षा करना।
- विद्यार्थियों को HPC उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कराने, प्रिंट एवं वितरण की मॉनिटरिंग करना।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त
दिनांक :

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/HPC/2024-25/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
7. उपायुक्त शाला दर्पण, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल जयपुर।
9. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, रास्कूलशिप जयपुर को आवश्यक मॉनिटरिंग हेतु।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. प्रधानाचार्य डाइट, समस्त जिलें।
13. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिलें।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक।
15. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ को पालनार्थ।
16. रक्षित पत्रावली।